



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
8, अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य-पोषण/2019/५७११

भोपाल, दिनांक १५ /05/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.

विषय : वर्ष 2019-20 में आयोजित किये जाने वाले 'दस्तक अभियान' के-प्रथमचरण के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यदायित्वों के संबंध में संयुक्त दिशानिर्देश।

\*\*\*\*\*

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में 'दस्तक अभियान', स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की समन्वितरण नीति है जिसका आयोजन 06 माह के अंतराल से बाल्यकालीन दस्तारोग एवं बाल्यकालीन निमोनिया बाहुल्य माहों में किया जाता है। वर्ष 2019-20 में 'दस्तक अभियान' प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 10 जून से 20 जुलाई 2019 के मध्य किया जाना है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त दल ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवारों में घर तक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की दस्तक देकर बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियों की सक्रिय पहचान एवं उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

उद्देश्य :-

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बीमारियों की सामुदायिक स्तर पर सक्रिय पहचान द्वारा त्वरित प्रबंधन ताकि बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।

दस्तक अभियान गतिविधियां :-

1. समुदाय में बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान, प्रबंधन एवं रेफरल।
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शैशव एवं बाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान, प्रबंधन एवं रेफरल।
3. 5 वर्ष से कम उम्र के बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान, (Active Case Finding) रेफरल एवं प्रबंधन।
4. 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग, रेफरल एवं प्रबंधन।
5. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्तारोग के नियंत्रण हेतु ओ.आर.एस. एवं जिंक के उपयोग संबंधी सामुदायिक जागरूकता में बढ़ावा एवं प्रत्येक घर में गृहभेंट के दौरान ओ.आर.एस. पहुँचाना।
6. 9 माह से 5 वर्षतक के समस्त बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण।
7. बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृतियों एवं वृद्धि विलंब (Development Delay) की पहचान।
8. 2 वर्ष की आयु वाले बच्चों की माताओं को समुचित शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाईश देना।
9. एस.एन.सी.यू एवं एन.आर.सी से छुट्टी प्राप्त बच्चों में बीमारी की स्क्रीनिंग तथा फॉलोअप को प्रोत्साहन।
10. गृहभेंट के दौरान आंशिक रूप से टीकाकृत एवं छोटे हुये बच्चों की टीकाकरण स्थिति की जानकारी लेना।
11. बाल मृत्यु प्रकरणों (विगत 6 माह) की जानकारी।

अभियान हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला टीकाकरण अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

उपरोक्त के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों का कार्यदायित्वों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :-

जिला स्तर :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.	जिला टीकाकरण अधिकारी, म.प्र.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि, म.प्र.
<ul style="list-style-type: none"> <li>दस्तक अभियान का जिले में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</li> <li>अभियान हेतु आवश्यक औषधियों, सामग्रियों, मुद्रण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।</li> <li>जिला कलेक्टर को अभियान के संबंध में जानकारी देना एवं कलेक्टर कार्यालय से कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी लगाना।</li> <li>जिला टीकाकरण अधिकारी के माध्यम से दस्तक अभियान की सूचना विकासखण्ड एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारियों तक पहुँचाना।</li> <li>अभियान के दौरान दैनिक रिपोर्टिंग की निगरानी करना।</li> <li>दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समुचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना।</li> <li>दस्तक सत्रों की संयुक्त भ्रमण कर मॉनिटरिंग करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>लक्षित हितग्राहियों का नाम आधारित सर्वे अद्यतन एवं नवीन बच्चों के डिजिटिकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।</li> <li>दस्तक अभियान के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु नामजद ग्रामवार माइक्रोप्लान बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।</li> <li>जिला/विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों से सतत् समन्वय बनाना।</li> <li>जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर दस्तक अभियान के क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का उन्मुखीकरण करना।</li> <li>दस्तक सत्रों की संयुक्त भ्रमण की मॉनिटरिंग करना।</li> <li>आउटरीच ए.एन.एम. हेतु उपलब्ध दस्तक किट बैग में रिफिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।</li> <li>दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल, चिकित्सकीय जाँच तथा समुचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना।</li> <li>दस्तक अभियान की दैनिक रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग एवं ससमय रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ दस्तक अभियान हेतु समन्वित कार्ययोजना तैयार करना।</li> <li>म.बा.वि के विकासखण्ड स्तरीय एवं मैदानी कार्यकर्ताओं को अभियान की जानकारी देना।</li> <li>आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विकासखण्ड स्तर पर उन्मुखीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।</li> <li>दस्तक अभियान के दौरान अधीनस्थ कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी निर्धारित करना।</li> <li>दस्तक सत्रों की संयुक्त भ्रमण की मॉनिटरिंग करना।</li> <li>अभियान की दैनिक मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु विकासखण्ड परियोजना अधिकारियों अधिकारी से संपर्क बनाये रखना।</li> <li>दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समुचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना।</li> </ul>

विकासखण्ड स्तर :-

विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.	परियोजना अधिकारी, म.बा.वि., म.प्र.
<ul style="list-style-type: none"> <li>दस्तक अभियान का समूचे विकासखण्ड में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन।</li> <li>उपस्वास्थ्य केन्द्रवार/ग्रामवार सूक्ष्म कार्ययोजना का निर्माण।</li> <li>अभियान हेतु उपलब्ध दस्तक किट बैग में रिफिलिंग कर समस्त आउटरीच ए.एन.एम. के पास उपलब्धता सुनिश्चित करना। दस्तक किट बैग में <b>आवश्यक औषधियों एवं सामग्रियों (1) WHO Hb Color scale (2) Disposable Needle/Lancet (3) Spirit Swab (4) IFA Syrup with auto dispenser (5) Vit. A soln. with spoon (6) WHO ORS (7) Zinc DT (8) Amoxycillin Syrup (9) Cotrimoxazole kid tab (10) MAA ASHA info kit (12) Dastak cue card (13) MUAC tape (14) Soap Bar</b> की उपलब्धता हो सुनिश्चित करना।</li> <li>आवश्यक संख्या में रिपोर्टिंग प्रपत्र, रेफरल हेतु निःशुल्क परिवहन का टोल फ्री नम्बर, निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक का नाम एवं मोबाईल नम्बर की उपलब्धता मैदानी कर्मियों तक सुनिश्चित करना।</li> <li>अभियान अंतर्गत कर्मचारियों की पर्यवेक्षण हेतु नामजद ड्यूटी लगाना।</li> <li>दस्तक अभियान की दैनिक रिपोर्टिंग एवं दस्तक मॉनिटरिंग टूल में ससमय दस्तक डाटा की एन्ट्री सुनिश्चित कराना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दस्तक अभियान के क्रियान्वयन हेतु विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रणनीति तैयार करना।</li> <li>चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों की रेफरल एवं भर्ती की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</li> <li>दस्तक अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती हेतु रेफरल में सहयोग।</li> <li>पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी उपरांत बच्चों नियमित फालो-अप सुनिश्चित करना।</li> <li>ग्राम स्तर पर चिन्हांकित गंभीर एनीमिक बच्चों की पुष्टि हेतु सेक्टर/विकासखण्ड स्तर पर Re-verification में सहयोग प्रदान करना।</li> <li>विटामिन ए अनुपूरण पश्चात रजिस्टर नम्बर-6 व 7 में विटामिन ए अनुपूरण की रिपोर्टिंग प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सुनिश्चित करवाना।</li> </ul>


विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.	परियोजना अधिकारी, म.बा.वि., म.प्र.
<ul style="list-style-type: none"> <li>मनुहार पाती/पेम्पलेट द्वारा ग्राम तक अभियान की पूर्व सूचना पहुँचाना ताकि आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गतिविधि का प्रसार सुनिश्चित हो सके।</li> <li>दस्तक अभियान के उद्देश्यों के संबंध में कर्मचारियों को उन्मुख करना।</li> <li>ग्राम स्तर पर चिन्हांकित गंभीर एनीमिक बच्चों की पुष्टि हेतु सेक्टर/विकासखण्ड स्तर पर Re-verification करना एवं पुष्टि उपरांत गंभीर एनीमिक बच्चों को रक्ताधान हेतु उचित संस्थान तक निःशुल्क परिवहन एवं रक्ताधान की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</li> <li>चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों के व्यवस्थापन हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्रों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि केन्द्र पर उपलब्ध बिस्तरों से अधिक बच्चे चिन्हांकित होते हैं तो स्थानीय प्रशासन की मदद से अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना।</li> <li>माँ कार्यक्रम के संबंध में समस्त आशाओं को अभियान पूर्व उन्मुख करना एवं आशा पोर्टल में इसकी जानकारी इंद्राज करवाना।</li> <li>दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समुचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अभियान अंतर्गत कर्मचारियों की पर्यवेक्षण हेतु नामजद ड्यूटी लगाना।</li> <li>दस्तक अभियान के उद्देश्यों के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं सुपरवाइजर्स को उन्मुख करना।</li> <li>माँ कार्यक्रम के विस्तार हेतु शीघ्र स्तनपान, 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह के उपरांत स्तनपान के साथ संपूरक आहार तथा 2 वर्ष तक उपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखने के सामुदायिक जागरूकता हेतु म.बा.वि. के कर्मचारियों को निर्देशित करना।</li> <li>अभियान के दौरान दैनिक रिपोर्टिंग की निगरानी करना।</li> <li>दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समुचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना।</li> </ul>


### ग्राम स्तर:-

आशा	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	ए.एन.एम/एम.पी. डब्ल्यू
<ul style="list-style-type: none"> <li>समस्त जन्म से 5 वर्षीय बच्चों की नामजद सूची अद्यतन करना एवं कठिन क्षेत्रों, मजरे-टोलों, ईट भट्टो, खदानों, घुमंतु परिवारों के बच्चों को विशेष प्रयास कर सम्मिलित करना।</li> <li>दस्तक अभियान के संबंध में सर्वेक्षण दिनांक के पूर्व ग्राम में प्रचार-प्रसार करना एवं मनुहार पाती का विवरण करना।</li> <li>सर्वेक्षण के दौरान ए.एन.एम. की मदद से भेंट किये गये परिवारों के घर पर दस्तक/घर क्र. /दिनांक, गेरू, नील अथवा चॉक से लिखना।</li> <li>बच्चों की हिमोग्लोबिन जाँच हेतु ए.एन.एम. का सहयोग करना।</li> <li>एम.यू.ए.सी. मापन में ए.एन.एम. का सहयोग करना।</li> <li>आशा इन्फोकिट की मदद से माँ कार्यक्रम की जानकारी परिजनों को देना।</li> <li>बीमार बच्चों की जानकारी ए.एन.एम. को देना ताकि उनका मुलभूत उपचार अथवा बीमारी की गंभीरता का आंकलन ए.एन.एम. कर सके।</li> <li>10-12 परिवारों को एकत्रित करके साबुन-पानी से हाथ धोने</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दस्तक अभियान के पूर्व बच्चों की नामजद सूचीकरण में आशा का सहयोग करना। कठिन क्षेत्रों, मजरे-टोलों, ईट भट्टो, खदानों, घुमंतु परिवारों के बच्चों को विशेष प्रयास कर सम्मिलित करना।</li> <li>दस्तक अभियान के संबंध में सर्वेक्षण दिनांक के पूर्व ग्राम में प्रचार-प्रसार करने में आशा का सहयोग करना।</li> <li>सर्वेक्षण के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों चिन्हांकन में सहयोग करना।</li> <li>चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों के रेफरल हेतु परिजनों को तैयार करना एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करना।</li> <li>पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी उपरांत बच्चों की नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित करना।</li> <li>9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण सुनिश्चित करना एवं रजिस्टर नम्बर-6 व 7 में विटामिन ए अनुपूरण की रिपोर्टिंग करना।</li> <li>आशा के साथ भेंट किये गये परिवारों में शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाईश देना।</li> <li>5 वर्ष से छोटे बच्चों की मासिक वृद्धि निगरानी एवं संतुलित पोषण के महत्व के संबंध में परिवारों को जागरूक करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>समस्त अधीनस्थ आशाओं से जन्म से 5 वर्षीय बच्चों की अद्यतन सूची प्राप्त कर ब्लाक स्तर पर जमा करना।</li> <li>माइक्रोप्लान अनुरूप दस्तक गतिविधि ग्राम में ससमय क्रियान्वित करना।</li> <li>6 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों की डब्ल्यू.एच.ओ कलर स्केल से हिमोग्लोबिन की जाँच एसेप्टिक तरीके से सुनिश्चित करना।</li> <li>एनीमिया से पीड़ित बच्चों (Hb<sub>gm</sub>% ≤ 8 gm) को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था द्वारा प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Reverification हेतु पहुँचाना।</li> <li>बीमार बच्चों की आई.एम.एन.सी.आई. आधारित लक्षणों के आधार पर पहचान, उपचार एवं प्रबंधन करना।</li> <li>गंभीर कुपोषित बच्चों का एम.यू.ए.सी. टेप से चिन्हांकन करना।</li> <li>गंभीर/क्रिटिकल बच्चों को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था से निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर करना।</li> <li>एस.एन.सी.यू. से छुट्टी प्राप्त बच्चे की जाँच एवं एस.एन.सी.यू. में फॉलो-अप हेतु प्रेरित करना।</li> <li>संभावित निमोनिया के अल्प लक्षण पाये जाने पर Amoxicillin परिजन को उपलब्ध कराना। सुधार न होने की स्थिति में उपस्वास्थ्य/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रोटोकॉल अनुसार उपचार हेतु भेजना।</li> <li>9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण।</li> <li>बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान।</li> </ul>

आशा	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	ए.एन.एम./एम.पी. डब्ल्यू
<p>की सही विधि, ओ.आर.एस. घोल बनाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जन्म के समय कम वजन नवजातों की जानकारी ए.एन.एम. को देना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जन्म के समय कम वजन नवजातों की जानकारी ए.एन.एम. को देना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आंशिक टीकाकृत/छूटे हुये बच्चों का व्ही.एच.एन.डी. में टीकाकरण सुनिश्चित करना।</li> <li>रेफर किये गये समस्त बच्चों की नामजद ट्रेकिंग करना ताकि कोई भी गंभीर एनीमिया, गंभीर कुपोषण अथवा गंभीर संक्रमण (निमोनिया अथवा अन्य संक्रमण) से ग्रस्त बच्चा उपयुक्त उपचार से वंचित न रहे।</li> </ul>

निर्देशित किया जाता है कि "दस्तक अभियान" की सफलता हेतु दोनों विभाग पुरजोर समन्वित प्रयास करें एवं घर-घर तक स्वास्थ्य और पोषण की दस्तक देकर अंतिम हितग्राही तक पहुँच बनाने में शासन की मंशा हो।


 (एम. बी. ओझा)  
आयुक्त  
महिला बाल विकास विभाग, म.प्र.


  
(नीतेश व्यास)  
मिशन संचालक  
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य-पोषण/2019/4912  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल, दिनांक 14/05/2019

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवार्य, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्य, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, महिला बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक सूक्ष्म नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक समन्वय हेतु।
10. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।

 (एम. बी. ओझा)  
आयुक्त  
महिला बाल विकास विभाग, म.प्र.

  
मिशन संचालक  
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश